

**01 किलों 100 ग्राम नाजायज गांजा के साथ एक शातिर गिरफ्तार—**

आज दिनांक 10.09.2022 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर तालिमुद्दीन डिग्री कालेज के पास से हैदर अब्बास पुत्र जावेद अली निवासी क्यारीटोला थाना कोतवाली जनपद मऊ के कब्जे से 01 किलों 100 ग्राम नाजायज गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 429/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान न्यायालय किया गया।

**06 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार—**

आज दिनांक 10.09.2022 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना घोसी पुलिस द्वारा अभिषेक पाण्डेय पुत्र ओमप्रकाश निवासी जुरण्डा थाना घोसी, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा अक्षयवर पुत्र बीरा निवासी हलीमाबाद, रामविलाश, रमेश पुत्रगण सुरपत निवासी ओटनी, प्रेमचन्द्र चौहान पुत्र ओमप्रकाश निवासी ओटनी, मो0 वसीम पुत्र स्व0 मजीद निवासी मडहापट्टी थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

**शांति भंग की आशंका में 49 व्यक्ति गिरफ्तार—**

आज दिनांक 10.09.2022 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा नेसार निवासी अमारी थाना सरायलखंसी, अरशद, आजाद निवासीगण कासिमपुरा, मु0 शहजाद, मुजिर्बुरहमान निवासीगण प्यारेपुरा थाना दक्षिणटोला, थाना घोसी पुलिस द्वारा जितेन्द्र निवासी बरकरा खुर्द, भीम राजभर निवासी बरौली चक थाना घोसी, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा रविन्द्र, अरविन्द, दीलीप निवासीगण लैरोदोनवार, चन्द्रभान निवासी रेवड़ीडीह थाना कोपागंज, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा नसीम अख्तर, परवेज अख्तर, मो0 शाह, मो0 आसिफ, सोनू राजभर, सुभंकर राजभर, आशीष राजभर, आलोक, नदीम निवासीगण मुंशीपुरा, सद्दाम निवासी हट्टीमदारी थाना कोतवाली, थाना मधुबन पुलिस द्वारा इन्द्रसेन, मित्रसेन, प्रदुम्न सिंह निवासीगण परसपुर, विमला, छंगुरी देवी निवासीगण धर्मपुर विसूनपुर, दिनेश कुमार, राहुल निवासीगण महुई, रामप्रकाश, रामश्रे, उमेश निवासीगण सिंघासन, प्रदीप तिवारी, निवासी जजौली, राधेश्याम, दयाशंकर, प्रतीक, संजय निवासीगण बहरामपुर, राधेश्याम, दुर्गा प्रसाद, गापाल, वीरेन्द्र संतोष निवासीगण दरगाह, जंगबहादुर निवासी भटौली थाना मधुबन, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा सिघराज, अभिषेक निवासीगण भातकोल, शिवकुमार निवासी सियाबस्ती, सुरेन्द्र निवासी टड़वा चौबेपुर, पिन्दू निवासी कोठिया, उत्तम निवासी भुईलीपुर थाना मुहम्मदाबाद, थाना रामपुर पुलिस द्वारा कन्हैया मिश्रा निवासी अल्लीपुर थाना रामपुर जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

आज दिनांक 10.09.2022 को जनपद मऊ के समस्त थानों पर समाधान/थाना दिवस का आयोजन किया जिसमें जिलाधिकारी मऊ श्री अरुण कुमार व पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय द्वारा थाना कोपागंज व थाना घोसी पर उपस्थित रह जनसुनवाई की गई तथा शिकायतों के अतिशीघ्र तथा गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित का निर्देशित किया गया।

### समस्त थानों पर पड़े प्रार्थना पत्रों की संख्या निम्नवत है—

थाना चिरैयाकोट में कुल 07 प्रा0पत्र पड़े, निस्तारण 01, थाना दक्षिणटोला में कुल 07 प्रा0पत्र पड़े, निस्तारण 04, थाना दोहरीघाट में कुल 10 प्रा0पत्र पड़े, निस्तारण 00, थाना घोसी में कुल 26 प्रा0पत्र पड़े, निस्तारण 02, थाना हलधरपुर में कुल 11 प्रा0पत्र पड़े, निस्तारण 00, थाना कोपागंज में कुल 06 प्रा0पत्र पड़े, निस्तारण 01, थाना कोतवाली में कुल 07 प्रा0पत्र पड़े, निस्तारण 00, थाना मधुबन में कुल 13 प्रा0पत्र पड़े, निस्तारण 02, थाना मुहम्मदाबाद में कुल 24 प्रा0पत्र पड़े, निस्तारण 01, थाना रानीपुर में कुल 07 प्रा0पत्र पड़े, निस्तारण 00, थाना सरायलखंसी में कुल 10 प्रा0पत्र पड़े, निस्तारण 00, थाना रामपुर में कुल 03 प्रा0पत्र पड़े, निस्तारण 00। अन्य प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु पुलिस तथा राजस्व विभाग की टीम मौके पर रवाना है।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना कोपागंज कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। जिसमें कार्यालय में रखे गये रिकार्डों/रजिस्ट्रों, मालखाना, बन्दीगृह आदि का निरीक्षण किया गया रजिस्ट्रों/रिकार्डों को अद्यतन करने तथा महिला सम्बन्धित अपराधों में विशेष सावधानी बरतते हुए प्रभावी कार्यवाही करने तथा थाना समाधान रजिस्टर व अन्य शिकायती रजिस्ट्रों में शिकायतकर्ता का फोन नम्बर अवश्य लिखकर शिकायत के निस्तारण के बाद फीडबैक लेने तथा माल मुकदमाती का समयबद्ध निस्तारण करने के साथ साथ अन्य आवश्यक दिशा—निर्देश दिये गये।

साथ ही साथ थाना घोसी पर उपस्थित समस्त पुलिसकर्मियों/चौकीदारों के साथ मीटिंग कर सर्वप्रथम उनकी समस्याओं को सुना गया तथा इसके निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया तथा अन्य आवश्यक दिशा—निर्देश दिये गये।